[2019] 13 एस.सी.आर 1162

मैसर्स विजय ट्रेडिंग एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी

बनाम

केंद्रीय भण्डारण निगम

(2016 की सिविल अपील संख्या 655)

07 नवंबर 2019

[आर०भानुमति, ए.एस. बोपन्ना और हृषिकेश रॉय, जे.जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996: धारा 34 - अपीलकर्ता ठेकेदार ने इनलैंड क्लीयरेंस डिपो में हैंडलिंग और परिवहन का काम करने के लिए प्रतिवादी निगम के साथ एक समझौता किया - प्रतिवादी निगम ने अपीलकर्ता द्वारा संविदात्मक दायित्वों को पूरा न करने के कारण अनुबंध समाप्त कर दिया और सुरक्षा जमा राशि जब्त कर ली और फोर्क लिफ्ट और हैंड ट्रॉली भी जब्त कर ली – प्रतिवादी निगम के पक्ष में मध्यस्थता निर्णय – अभिनिर्धारित:- कंटेनर को नवी मुंबई के बंदरगाह तक ले जाने में विफलता के परिणामस्वरूप निर्यात कार्यक्रम विफल हो गया - नवी मुंबई में बंदरगाह पर कंटेनर वितरित करने में अपीलकर्ता की विफलता और कंटेनर की वसूली में लगने वाले समय और विशेष रूप से प्रतिवादी निगम द्वारा किए गए व्यय, 10 लाख रुपये की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने को ध्यान में रखते हुए, उपकरणों की रोकथाम को मनमाना या समझौते की शर्तों से परे नहीं कहा जा सकता है - मध्यस्थ और नीचे की अदालतों ने समवर्ती निष्कर्ष दर्ज किए कि अपीलकर्ता ठेकेदार अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार काम करने में विफल रहा - मध्यस्थ ने सही ढंग से ठेकेदार के उपकरणों को हिरासत में लेने और जब्त करने की अनुमति दी - इसी तरह, कथित हिरासत और हाथ ट्रॉलियों के उपयोग के लिए नुकसान के लिए प्रतिदावा सही ढंग से खारिज कर दिया गया था - मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है - अनुबंध - का समापन - निर्यात आयात।

अपील को खारिज करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि:

1. निर्यात से लदा कंटेनर 06.11.2001 को जेएनपी, नवी मुंबई में कंटेनर की डिलीवरी के लिए प्रबंधक, आईसीडी, वाराणसी द्वारा अपीलकर्ता को सौंप दिया गया था; लेकिन अपीलकर्ता कंटेनर को गंतव्य बंदरगाह तक पहुंचाने में विफल रहा और केवल न्यायालय के हस्तक्षेप से कंटेनर को गाजियाबाद में ढूंढा गया और बरामद किया गया और 23.05.2003 को आईसीडी वाराणसी में वापस प्राप्त किया गया। लेकिन तब तक उक्त कंटेनर निर्यात समय सीमा से चूक चुका था। जब उक्त निर्यात से लदा कंटेनर अपीलकर्ता को सौंपा गया था तो अपीलकर्ता को समय्क तत्परता के साथ कंटेनर को गंतव्य बंदरगाह तक पहुंचाना चाहिए था। प्रतिवादी निगम ने दो मामलों में सुरक्षा जमा राशि जब्त करने को उचित

ठहराया:- सबसे पहले, निर्यातक द्वारा उठाए गए भारी दावे को देखते हुए, जिसके लिए उन्होंने उपभोक्ता फोरम के समक्ष 40 लाख का दावा दायर किया है, और दूसरे, कंटेनर की अभिरक्षा मुक्ति के लिए प्रतिवादी-निगम द्वारा प्रस्तुत की गई 10 लाख रुपये की बैंक गारंटी के कारण। मध्यस्थ और नीचे की अदालतों ने अनुबंध की समाप्ति को कानूनी मानते हुए समवर्ती निष्कर्षों को दर्ज किया और सुरक्षा राशि की जब्ती और फोर्क लिफ्ट की वसूली को उचित ठहराया। [पैरा 11][1168-सी-एफ]

2. अपीलकर्ता को सौंपे गए कंटेनर को तीसरे पक्ष ने हिरासत में ले लिया था, जिसने अपीलकर्ता के खिलाफ एक सिविल मुकदमा दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि अपीलकर्ता द्वारा उसका बकाया नहीं चुकाया गया था। प्रतिवादी निगम ने कंटेनर की रिहाई के लिए उक्त मुकदमे में एक आवेदन दायर किया था जिसे सिविल कोर्ट, गाजियाबाद ने 28.11.2002 को खारिज कर दिया था और प्रतिवादी को उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल पुनरीक्षण याचिका दायर करनी पड़ी थी, जिसमें ट्रायल कोर्ट को आवेदन को नए सिरे से निस्तारित करने का निर्देश जारी किया गया था। इसके बाद, ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी-निगम द्वारा 10 लाख रुपये की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर कंटेनर को अभिरक्षा से मुक्त करने का आदेश दिया। ट्रायल कोर्ट ने 10 लाख रुपये की बैंक गारंटी जमा करने पर ही कंटेनर को अभिरक्षा से मुक्त करने का आदेश दिया गया है। यह कहा गया है कि उक्त सिविल मुकदमा अभी भी गाजियाबाद न्यायालय में लंबित है और साक्ष्य दर्ज करने के चरण में है।जैसा कि मध्यस्थ ने अभिनिर्धारित किया है कि अपीलकर्ता को आयात और निर्यात के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुचारू रूप से चलाने में सहायता करने और समय प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का अनुबंध दिया गया था। कंटेनर को नवी मुंबई के बंदरगाह तक ले जाने में विफलता के परिणामस्वरूप निर्यात कार्यक्रम विफल हो गया। नवी मुंबई के बंदरगाह पर कंटेनर पहुंचाने में अपीलकर्ता की विफलता को ध्यान में रखते हुए और कंटेनर की वसूली में लगने वाला समय और प्रतिवादी-निगम द्वारा किया गया व्यय, विशेष रूप से 10 लाख रुपये की बैंक गारंटी प्रस्तुत करना, उपकरणों के निरोध को मनमाना या समझौते की शर्तों से परे नहीं कहा जा सकता है। [पैरा 12,13][1168-जी-एच; 1169-ए, डी-ई]

3. अधिनियम की धारा 34 के तहत आपत्ति याचिका दायर करने से पहले ही अपीलकर्ता को मध्यस्थ पुरस्कार के अनुसार पूरा भुगतान प्राप्त हो गया था। प्रतिवादी-निगम के अनुसार, अपीलकर्ता ने अधिनियम की धारा 34 के तहत याचिका दायर करते समय धन की प्राप्ति का खुलासा नहीं किया था। मध्यस्थ और निचली अदालतों ने समवर्ती निष्कर्ष दर्ज किए हैं कि अपीलकर्ता ठेकेदार अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार काम करने में विफल रहा है, और मध्यस्थ ने ठेकेदार के उपकरणों को अभिरक्षा में लेने और जब्त करने की उचित अनुमति दी है और अपीलकर्ता के प्रतिदावा क्रमांक 4 को अस्वीकार कर दिया। इसी तरह,

काउंटर क्लेम नंबर 5 जो कथित अभिरक्षा और हाथ ट्रॉलियों के उपयोग के लिए नुकसान के लिए था, खारिज कर दिया गया था और इस प्रकार, काउंटर क्लेम नंबर 4 और 5 को मध्यस्थ द्वारा उचित रूप से अस्वीकार कर दिया गया था। [पैरा 14,15][1169-एफ-एच; 1170-ए-बी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2016 की सिविल अपील संख्या 655

सी०एम०संख्या एफ०ए०ओ (ओ०एस) 435/2010 में दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के निर्णय और आदेश दिनांक 19.07.2010 से। अपीलकर्ता के वकील अनिकेत जैन, अरविंद कुमार गुप्ता, अविनाश कुमार मिश्रा। के.के. त्यागी, इफ्तिखार ए., पी. नरसिम्हन, प्रतिवादी के वकील। न्यायालय का निर्णय आर. भानुमति, जे. द्वारा सुनाया गया।

1. यह अपील दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 2010 के एफएओ (ओएस) संख्या 435 में पारित दिनांक 19.07.2010 के आक्षेपित निर्णय से उत्पन्न हुई है, जिसमें उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, जिससे विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखा गया। इस प्रकार दिनांक 18.03.2005 के मध्यस्थ निर्णय के खिलाफ मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 34 के तहत दायर आपत्तियों को खारिज करने की पुष्टि की गई।
2. संक्षिप्त तथ्य जिनके कारण यह अपील दायर की गई, वे इस प्रकार हैं:-
इनलैंड क्लीयरेंस डिपो (आईसीडी) वाराणसी में हैंडलिंग और परिवहन का काम करने के लिए प्रतिवादी-केंद्रीय भंडारण निगम और अपीलकर्ता के बीच 28.08.2001 से 27.08.2003 तक दो साल की अवधि के लिए दिनांक 30.08.2001 को एक समझौता किया गया था। प्रतिवादी-निगम ने हैंडलिंग और परिवहन ठेकेदार के रूप में अपीलकर्ता के खराब प्रदर्शन और अंतर्देशीय क्लीयरेंस डिपो में स्थिति की गिरावट के कारण समझौते के खंड एक्स (ए) और एक्स (बी) के तहत 21.02.2002 को अनुबंध समाप्त कर दिया। समाप्ति की तिथि तक अपीलकर्ता द्वारा जमा की गई सुरक्षा जमा राशि भी जब्त कर ली गई।
3. पार्टियों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ जिसके कारण दिनांक 23.09.2002 के संदर्भ आदेश के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति की गई। प्रतिवादी-निगम ने उस पर 18% की दर से ब्याज सहित 98,06,000/- रुपये की राशि का दावा किया। प्रतिवादी-निगम द्वारा यह तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता का प्रदर्शन विशेष रूप से निर्यात लोडेड कंटेनर नंबर TRIU-4991702x40' के संबंध में संतोषजनक नहीं पाया गया, जिसे अपीलकर्ता द्वारा अवैध रूप से अभिरक्षा में लिया गया था और अपीलकर्ता कंटेनर को नवी मुंबई स्थित बंदरगाह तक ले जाने में विफल रहा। उक्त कंटेनर 06.11.2001 को इनलैंड क्लीयरेंस डिपो वाराणसी से अपीलकर्ता को सौंपा गया था और निर्धारित समय अवधि के भीतर यानी 16.11.2001 तक अपने गंतव्य जे.एन.पी, नवी मुंबई तक नहीं पहुंचा।जब निर्यातक, मेसर्स भोला नाथ इंडस्ट्रीज ने कंटेनर की शीघ्र

वसूली के लिए दबाव डाला और कंटेनर के नुकसान के लिए मुआवजे के दावे भी उठाए, प्रतिवादी-निगम ने पूछताछ शुरू की और अपीलकर्ता को कंटेनर की वसूली और संविदात्मक दायित्वों को पूरा न करने के लिए कई नोटिस जारी किए। न्यायालयों के हस्तक्षेप के बाद ही कंटेनर को गाजियाबाद में खोजा गया और 23.05.2003 को आई.सी.डी वाराणसी में वापस प्राप्त किया गया। लेकिन तब तक उक्त कंटेनर निर्यात शेड्यूल से चूक गया। निर्यातक ने शुरू में घोषणा की कि कंटेनर में भरा माल उसके किसी काम का नहीं है; लेकिन बाद में इसे उपयोग योग्य बनाने के लिए इसे दोबारा संसाधित किया गया।

4. अपीलकर्ता ने विभिन्न मदों के तहत प्रतिदावा दायर किया और उस पर 18% की दर से ब्याज सहित 52,00,000 रुपये का दावा किया। अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि विचाराधीन कंटेनर को मैसर्स ओडीसी रोडवेज द्वारा अवैध रूप से हिरासत में लिया गया था, जिसे कंटेनर को पोर्ट नवी मुंबई तक परिवहन के लिए सौंपा गया था। अपीलकर्ता के अनुसार, उसने कंटेनर की शीघ्र वसूली के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने सहित सभी संभव कदम उठाए थे और अपीलकर्ता द्वारा किए गए सभी प्रयासों के बावजूद, प्रतिवादी-निगम ने अनुबंध को अवैध रूप से समाप्त कर दिया।

5. दावे और समाप्ति के आधारों और अपीलकर्ता द्वारा दायर उत्तर को ध्यान में रखते हुए, मध्यस्थ ने दिनांक 18.03.2005 के फैसले के तहत अनुबंध की समाप्ति को वैध माना और प्रतिवादी के कुछ दावों को इसके पक्ष में तय किया। विद्वान मध्यस्थ द्वारा अपीलकर्ता के कुछ प्रतिदावों को भी अनुमति दी गई। काउंटर क्लेम नंबर 3 सहित अन्य दावे (सुरक्षा जमा की वापसी के लिए रु. 4,30,284/- का दावा) और काउंटर क्लेम नंबर 4 (फोर्कलिफ्ट की अवैध रोक के लिए 4,64,815 रुपये के ब्याज सहित 15,75,484 रुपये का दावा) का फैसला अपीलकर्ता के खिलाफ किया गया। मध्यस्थ द्वारा यह माना गया कि अनुबंध की समाप्ति कानूनी और उचित है और इसके मद्देनजर, प्रतिवादी को सुरक्षा जमा जब्त करने का अधिकार था। फोर्क लिफ्ट और हैंड ट्रॉलियों की कथित हिरासत के संबंध में अपीलकर्ता के दावे के संबंध में मध्यस्थ ने माना कि उपकरणों की रोकथाम सही और उचित है। मध्यस्थ ने माना कि अनुबंध की निविदा शर्तों के खंड 5 (जी) से यह पता चलता है कि प्रतिवादी को बकाया राशि की मांग करने का अधिकार है जब सुरक्षा जमा और अन्य देय राशि से वसूली योग्य पूरी राशि को कवर करने के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं है। मेसर्स भोला नाथ इंडस्ट्रीज एवं सीमा शुल्क/उत्पाद विभाग एवं अन्य की भारी दावा राशि को देखते हुए, विद्वान मध्यस्थ ने निष्कर्ष निकाला कि सुरक्षा के रूप में फोर्क लिफ्ट और हैंड ट्रॉली जैसे उपकरणों को हिरासत में लेने में दावेदार की ओर से कार्रवाई में कोई अवैधता नहीं है।

6. अपीलकर्ता ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 34 के तहत आपत्तियां दायर कीं और कहा कि समाप्ति का आदेश जिसके तहत सुरक्षा राशि भी जब्त कर लिया गया था, सुरक्षा राशि जब्त करने का कोई कारण दर्ज नहीं करता है। इसी प्रकार, प्रतिदावा संख्या 3 को खारिज करने के लिए मध्यस्थ द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया है। अपने प्रतिदावे

संख्या 4 के समर्थन में अपीलकर्ता ने कहा कि अनुबंध के सफल निष्पादन के लिए उसने इनलैंड क्लीयरेंस डिपो वाराणसी में एक फोर्क लिफ्ट और चार हैंड ट्रॉली को नियोजित किया था, जो उनके स्वामित्व में थे और उन्हें प्रतिवादी द्वारा अवैध रूप से अभिरक्षा में लिया गया है। प्रतिवादी-निगम की ओर से, यह तर्क दिया गया कि सुरक्षा राशि की जब्ती निम्नलिखित कारणों से उचित थी - सबसे पहले, उपभोक्ता फोरम, लखनऊ के समक्ष मेसर्स भोला नाथ इंडस्ट्रीज द्वारा उठाए गए भारी दावे को देखते हुए और दूसरा, कंटेनर की रिहाई के लिए प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस लाख रुपये की बैंक गारंटी के कारण। प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया कि मेसर्स भोला नाथ इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा चालीस लाख रुपये का दावा दायर किया गया था। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया कि न केवल अपीलकर्ता को देय भुगतान रोक दिया जाए, बल्कि उपयोग में आने वाले सभी उपकरणों को भी जब्त कर लिया जाए।

7. अपीलकर्ता की आपत्तियों और प्रतिवादी-निगम के दावे पर विचार करते हुए, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रतिदावा संख्या 4 को खारिज करते समय विद्वान मध्यस्थ द्वारा दर्ज किए गए कारण में कोई नहीं पाया गया। प्रतिदावा संख्या 3 को इस हद तक अनुमति दी गई थी कि यदि प्रतिवादी निगम द्वारा दी गई बैंक गारंटी समाप्त हो जाती है, तो अपीलकर्ता 4,30,284 रुपये की राशि में सुरक्षा जमा वापस करने का हकदार होगा। अपीलकर्ता द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 37 के तहत दायर अपील को आक्षेपित निर्णय के माध्यम से विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि करते हुए खारिज कर दिया गया था।

8. सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष, अपीलकर्ता ने केवल प्रतिदावा क्रमांक 3 और 4 प्रस्तुत किया है। अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री अनिकेत जैन ने तर्क दिया है कि नीचे की अदालतों ने इस तथ्य की सराहना नहीं की कि अपीलकर्ता ने सम्यक तारतम्यता प्रदर्शित कि और एफआईआर दर्ज करने और कानूनी कार्यवाही शुरू करने सहित अवैध रूप से हिरासत में लिए गए कंटेनर की वसूली के लिए प्रयास किए। यह प्रस्तुत किया गया कि नीचे दी गई अदालतें यह समझने में विफल रहीं कि सुरक्षा जमा की वापसी के संबंध में लगाई गई शर्तें पार्टियों के बीच समझौते की शर्तों के साथ-साथ मध्यस्थ को दिए गए संदर्भ की शर्तों से परे हैं और बैंक गारंटी को बदलने का विद्वान एकल न्यायाधीश का आदेश अस्थिर है और अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की।

9. जहां तक सुरक्षा जमा राशि जब्त करने का सवाल है, प्रतिवादी-निगम के विद्वान वकील श्री के.के त्यागी ने प्रस्तुत किया है कि मेसर्स भोला नाथ इंडस्ट्रीज जिसके कंटेनर अपीलकर्ता के आचरण के कारण लंबे समय तक गायब रहे, ने प्रतिवादी के खिलाफ चालीस लाख रुपये का दावा दायर किया था और यद्यपि इसे गैर-अभियोजन पक्ष के कारण खारिज कर दिया गया है, इसे शिकायतकर्ता मेसर्स भोला नाथ इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कहने पर किसी भी समय बहाल किया जा सकता है, इसलिए यह तर्क दिया गया कि सुरक्षा राशि और फोर्क लिफ्ट की जब्ती को मनमाना या अनुचित नहीं कहा जा सकता है और अनुबंध की शर्तों के अनुरूप है। विद्वान

वकील ने आगे कहा कि प्रतिवादी निगम को अपीलकर्ता के खिलाफ तीसरे पक्ष-मैसर्स ओडीसी द्वारा दायर मुकदमे के मद्देनजर कंटेनर को जारी करने के लिए दस लाख रुपये की बैंक गारंटी देनी पड़ी, जब तक कि अपीलकर्ता द्वारा उनके बकाए का भुगतान नहीं कर दिया जाता। और मामला अभी भी लंबित है इसलिए, विद्वान मध्यस्थ ने सुरक्षा जमा जब्त करने के प्रतिवादी-निगम के कृत्य को सही ठहराया है।

10. हमने दोनों पक्षों की दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और आक्षेपित निर्णय और विद्वान मध्यस्थ द्वारा पारित पुरस्कार और विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश और रिकॉर्ड पर अन्य सामग्रियों का अवलोकन किया है।

11. निर्यात से लदा कंटेनर नंबर TRIU-4991702x40' प्रबंधक ICD वाराणसी द्वारा जेएनपी, नवी मुंबई में कंटेनर की डिलीवरी के लिए 06.11.2001 को अपीलकर्ता को सौंप दिया गया था; लेकिन अपीलकर्ता कंटेनर को गंतव्य बंदरगाह तक पहुंचाने में विफल रहा था और केवल न्यायालय के हस्तक्षेप से, कंटेनर को गाजियाबाद में ढूंढ लिया गया और बरामद किया गया और 23.05.2003 को आईसीडी, वाराणसी में वापस प्राप्त किया गया। लेकिन तब तक उक्त कंटेनर निर्यात शेड्यूल से चूक चुका था। जब निर्यात से लदा कंटेनर नंबर TRIU-4991702x40' अपीलकर्ता को सौंपा गया था, तो अपीलकर्ता को उचित समय्क तारतम्यता के साथ कंटेनर को गंतव्य के बंदरगाह तक पहुंचाना चाहिए था। प्रतिवादी-निगम ने दो आधारों पर सुरक्षा जमा की जब्ती को उचित ठहराया है: - पहला, मेसर्स भोला नाथ इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा उठाए गए भारी दावे को ध्यान में रखते हुए, जिसके लिए उन्होंने उपभोक्ता फोरम लखनऊ के समक्ष चालीस लाख रुपये का दावा दायर किया है और दूसरा, कंटेनर की रिहाई के लिए प्रतिवादी-निगम द्वारा प्रस्तुत दस लाख रुपये की बैंक गारंटी के कारण। विद्वान मध्यस्थ और निचली अदालतों ने अनुबंध की समाप्ति को कानूनी मानते हुए समवर्ती निष्कर्षों को दर्ज किया है और 4,30,284 रुपये की सुरक्षा राशि को जब्त करने और फोर्क लिफ्ट की वसूली को उचित ठहराया है।

12. अपीलकर्ता को सौंपे गए कंटेनर को श्री प्रभु नाथ सिंह द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए तीसरे पक्ष-मैसर्स ओ.डी.सी रोडवेज द्वारा हिरासत में लिया गया था, जिन्होंने अपीलकर्ता के खिलाफ 2001 का एक सिविल सूट नंबर 1127 दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि अपीलकर्ता ने उनके बकाया का भुगतान नहीं किया है। प्रतिवादी-निगम ने कंटेनर की अभिरक्षा मुक्ति के लिए उक्त मुकदमे में एक आवेदन दायर किया था जिसे 28.11.2002 को सिविल कोर्ट, गाजियाबाद द्वारा खारिज कर दिया गया था और प्रतिवादी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष 2002 की एक सिविल पुनरीक्षण याचिका संख्या 180 दायर करनी पड़ी थी जिसमें ट्रायल कोर्ट को आवेदन को नए सिरे से निस्तारित करने का निर्देश जारी किया गया था। इसके बाद, ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी-निगम द्वारा दस लाख रुपये की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर कंटेनर को रिहा कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने दस लाख रुपये की बैंक गारंटी जमा करने पर ही

कंटेनर को रिहा किया। यह कहा गया है कि उक्त सिविल मुकदमा अभी भी गाजियाबाद न्यायालय में लंबित है और साक्ष्य दर्ज करने के चरण में है।

13. जहां तक कांटा लिफ्ट और हैंड ट्रॉलियों को रोके रखने का आरोप है। प्रतिवादी-निगम ने कहा है कि प्रतिवादी-निगम और अपीलकर्ता के बीच मध्यस्थता मामले को अंतिम रूप देने के बाद, मध्यस्थ के आदेश के अनुसार सभी बकाया राशि का भुगतान ठेकेदार को कर दिया गया है; लेकिन अपीलकर्ता ने अपने उपकरणों को उठाने के लिए प्रतिवादी निगम से संपर्क नहीं किया और इस तरह वे आईसीडी भदोही में मूल्यवान स्थान पर कब्जा कर रहे थे। प्रतिवादी-निगम के अनुसार, उपकरणों के कब्जे वाले स्थान के लिए, 31.05.2007 तक की अवधि के लिए फोर्क लिफ्ट और हैंड ट्रॉली के लिए कुल किराया क्रमशः 41,746 रुपये और 89,049 रुपये बनता है। जैसा कि हो सकता है, प्रतिवादी-निगम के अनुसार, उपकरणों की रोकथाम क्लॉज 5 (जी) में समझौते की शर्तों के अनुसार की गई थी और इसे मध्यस्थ द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। जैसा कि विद्वान मध्यस्थ ने कहा, अपीलकर्ता को आयात और निर्यात के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुचारू रूप से चलाने में सहायता करने और समय प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का अनुबंध दिया गया था। कंटेनर को नवी मुंबई के बंदरगाह तक ले जाने में विफलता के परिणामस्वरूप निर्यात कार्यक्रम विफल हो गया। नवी मुंबई में बंदरगाह पर कंटेनर वितरित करने में अपीलकर्ता की विफलता और कंटेनर की वसूली में लगने वाले समय और विशेष रूप से प्रतिवादी निगम द्वारा किए गए व्यय को ध्यान में रखते हुए, दस लाख रुपये की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर अभिरक्षा में लिया गया, उपकरणों को मनमाना या अनुबंध की शर्तों से परे नहीं कहा जा सकता।

14. यह ध्यान रखना उचित है कि अपीलकर्ता को डीडी नंबर 079915 दिनांक 03.09.2005 द्वारा दिनांक 18.03.2005 के फैसले के तहत मध्यस्थ द्वारा अनुमन्य राशि के रूप में 11,06,598 रुपये की राशि प्राप्त हुई है। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 34 के तहत आपत्ति याचिका दायर करने से पहले ही, अपीलकर्ता को दिनांक 18.03.2005 के मध्यस्थ निर्णय के अनुसार पूरा भुगतान प्राप्त हो गया है। प्रतिवादी-निगम के अनुसार, अपीलकर्ता ने अधिनियम की धारा 34 के तहत याचिका दायर करते समय धन की प्राप्ति का खुलासा नहीं किया है।

15. विद्वान मध्यस्थ और नीचे की अदालतों ने समवर्ती निष्कर्षों को दर्ज किया है कि अपीलकर्ता ठेकेदार अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार काम करने में विफल रहा है और विद्वान मध्यस्थ ने ठेकेदार के उपकरणों को अभिरक्षा में लेने और जब्त करने की अनुमति दी है और अपीलकर्ता के प्रतिदावा क्रमांक 4 को अस्वीकार कर दिया। इसी प्रकार, काउंटर क्लेम नंबर 5 जो कि हाथ ट्रॉलियों के कथित अवरोधन और उपयोग के लिए नुकसान के लिए था, खारिज कर दिया गया है और इस प्रकार, विद्वान मध्यस्थ द्वारा प्रतिदावा संख्या 4 और 5 को उचित रूप से अस्वीकार कर दिया गया है। हमें मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय और आक्षेपित फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिला और यह अपील खारिज होने योग्य है।

16. परिणामस्वरूप, 2010 के एफएओ (ओएस) संख्या 435 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 19.07.2010 के आक्षेपित निर्णय की पुष्टि की जाती है और यह अपील खारिज कर दी जाती है। वादव्यय नहीं।

देविका गुजराल अपील खारिज

(पवन कुमार सिंह-I)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रायबरेली।